# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
## पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

.प्रकरण संख्या 76/2020

### अनवान

1. श्री संजय पुत्र भेरू लाल सोमाणी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

### बनाम

1. श्री गंगाराम पिता माना बलाई निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ
2. श्री भैरू लाल पिता माना बलाई निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ
3. श्री गोदु लाल पिता माना बलाई निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ
4. श्री शंकर लाल पिता माना बलाई निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ
5. श्री परथु पिता माना बलाई निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ
6. श्री रामनारायण पिता रामनिवासर सोमाणी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ
7. श्री राजेश पिता भेरू लाल सोमाणी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**
**निर्णय दिनांक 09—02—2021**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 4.12.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1131 की कृषि भूमि की आ.न. 2048 रकबा 0.9990 है0 आ.न. 2048/1 रकबा 0.0253 है0 आ.न. 2053 रकबा 0.2529 है0 आ.न. 2054 रकबा 0.3035 है0 आ.न. 2055 रकबा 0.2053 है0 आ.न. 4090/2049 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 6 रकबा 2.2003 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4.12.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायात 07 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 1131 की कृषि भूमि की आ.न. 2048 रकबा 0.9990 है0 आ.न. 2048/1 रकबा 0.0253 है0 आ.न. 2053 रकबा 0.2529 है0 आ.न. 2054 रकबा 0.3035 है0 आ.न. 2055 रकबा 0.2053 है0 आ.न. 4090/2049 रकबा 0.4173 है0 कुल किता 6 रकबा 2.2003 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार [illegible] कमिश्नर फीस 500/—रू0 की निर्धारित शुल्क 700/— पक्षकार प्रार्थी [illegible] निर्धारित कमिश्नर को [illegible] नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार [illegible] में सुनाया जाकर लिखा गया।

आदेश आज दिनांक 09.02.2021 [illegible]

प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:44:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner